"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108] रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 मार्च 2013—फाल्गुन 29, शक 1934

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-11/2013/वा.क. (आब.)/पांच (08).— राज्य सरकार छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दिनांक 28 अप्रैल, 2013 एवं दिनांक 01 मई, 2013 को नया रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले आई.पी.एल. मैच (क्रमशः दिल्ली डेयरडेव्हिल्स विरुद्ध पुणे वारियर्स इण्डिया एवं दिल्ली डेयरडेव्हिल्स विरुद्ध कलकत्ता नाईट राईडर्स) को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) से मनोरंजन शुल्क के भुगतान से केवल एक बार (One Time) के लिए छूट प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.